न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 79/2018 निर्णय दिनांकः– 11–07–2025
(जीसीएमएस संख्या 2018/00118)

1. सुरेन्द्र कुमार विश्नोई पुत्र इकबालसिंह जाति विश्नोई निवासी वार्ड नम्बर 9 चक 16 बीएलडी दंतौर तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. राकेश कुमार पुत्र बहादुरचन्द जाति चितलांगिया निवासी दन्तौर तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान सरकार जरिये पैरोकारराज

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 16–09–2014 व 19–09–2014
उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला

उपस्थितिः–

1. श्री रफीक शाह, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नरेन्द्र गौड, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट् ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला के आदेश दिनांक 16–09–2014 व 19–09–2014 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वादगत भूमि का स्मालपेच आवंटन विधिविरूद्व तरीके से किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए बताया कि उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला के द्वारा मोहरबंद आवंटन हेतु आरक्षित भूमियों के आवंटन हेतु कय प्रस्ताव आमंत्रित किये गये थे जिसमें चक 19 बीएलडी के मुरब्बा नम्बर 15/31 की तादादी 9 बीघा भूमि हेतु उच्चतम राशि का प्रस्ताव अपीलांट का था। उक्त प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार करते हुए प्रस्तावक का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ जिला कलक्टर बीकानेर को भिजवाया गया था। अपीलांट द्वारा प्रस्तावित उक्त भूमि का आवंटन विधिविरूद्ध तरीके से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्मालपेच आवंटन श्रेणी के तहत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कर दिया गया। वादगत भूमि मोहरबंद आवंटन श्रेणी की होने के कारण स्मालपेच आवंटन योग्य उपलब्ध नहीं थी मगर अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर किये बिना रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुंचाने की नियत से आवंटन कर दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व ना तो अपीलांट को किसी प्रकार का कोई नोटिस प्रदान किया तथा ना ही अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया। चूंकि अपीलांट द्वारा वादगत भूमि बाबत उच्चतम प्रस्ताव किया गया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार भी किया गया था इसलिए अपीलांट वादगत भूमि से हितबद्ध एवं प्रभावी पक्षकार है। लिहाजा अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाते हुए अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा मियांद पर कथन किया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई सूचना प्रदान नहीं की गई। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर पारित किया गया है जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नही है। अपीलांट अपने मोहरबंद आवंटन की जानकारी प्राप्त करने अधीनस्थ न्यायालय में गया तब सर्वप्रथम अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 15—02—2018 को हुई। अपीलाधीन आदेश की प्रथम जानकारी से अपीलांट द्वारा किसी प्रकार का विलम्ब किये बिना अपील अंदर मियांद प्रस्तुत कर दी गई। लिहाजा

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलांट का मियांद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जावे।

आगे अभिभाषक अपीलांट ने गुणावगुण पर बहस करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। नियमानुसार जो भूमि किसी श्रेणी विशेष हेतु आरक्षित होती है वो उसी श्रेणी में आवंटन की जा सकती है। स्मालपेच व मिडियमपेच आवंटन हेतु शुद्ध रूप से अराजीराज भूमि का उपलब्ध होना अनिवार्य होता है। वादगत भूमि बाबत अपीलांट का मोहरबंद आवंटन प्रार्थना पत्र लम्बित था। यदि अधीनस्थ न्यायालय अपीलांट को आवंटन से पूर्व सुनवाई का अवसर प्रदान करता तो अपीलांट अपने आवंटन संबंधी सबूत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता मगर अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुंचाने की नियत से आनन–फानन में वादगत भूमि का आवंटन किया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया स्मालपेच आवंटन निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्माल पेच आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसील स्तर से वादगत भूमि की रिपोर्ट प्राप्त की गई उक्त रिपोर्ट में वादगत भूमि शुद्ध रूप से अराजीराज होने, विवादग्रस्त नहीं होने, अनिवार्य वन पट्टी का नहीं होने, विनिमय में प्रस्तावित नही होने, चक आबादी में नहीं होने तथा जोहड़ पायतन में नहीं होने एवं वादगत भूमि बाबत केवल मात्र रेस्पोडेन्ट्स का प्रार्थना पत्र होने की स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादगत भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट को किया गया है। रेस्पोडेन्ट्स के पक्ष में आवंटन होने के पश्चात रेस्पोडेन्ट्स द्वारा आवंटित भूमि की समस्त राशि खजानाराज में जमा करवाई जा चुकी है एवं मौके पर अपीलांट काबिज काश्त होने से वादगत भूमि पर रेस्पोडेन्ट के अधिकार स्थापित होने से अपीलांट किसी प्रकार का कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपीलांट के प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी के कथनों का विरोध करते हुए कथन किया कि अपीलांट के धारण में किसी प्रकार की कोई खातेदारी भूमि नहीं होने के कारण अपीलांट अपील प्रस्तुत करने के अधिकार प्राप्त नहीं रखता है। अपीलांट अपीलाधीन आदेश से किस प्रकार व्यथित अथवा हितबद्ध यह साबित करने में अपीलांट असफल रहे है। अपीलांट का यह कथन किया जाना कि अपीलांट द्वारा वादगत भूमि बाबत मोहरबंद श्रेणी में प्रस्ताव भरे गये थे जो जिला कलक्टर महोदय को अनुमोदनार्थ प्रेषित थे जबकि जिला कलक्टर महोदय ने दिनांक 31–05–2011 को उक्त प्रस्ताव निरस्त करते हुए प्रस्तावकों को जमा राशि लौटाने का आदेश पारित कर दिया था। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट द्वारा किसी प्रकार की कोई चाराजोई नहीं की गई है। जिला कलक्टर बीकानेर के आदेश दिनांक 31–05–2011 के द्वारा जो प्रस्ताव निरस्त किये गये थे उनमें से कुछ व्यक्तियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट दायर की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय जिला कलक्टर बीकानेर के आदेश को यथावत रखते हुए उक्त रिट याचिका को दिनांक 12–10–2017 को खारिज कर दिया गया। अपीलांट द्वारा झूठे तथ्यों के आधार पर केवल मात्र रेस्पोडेन्ट को तंग परेशान करने की नियत से माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय पश्चात दिनांक 28–02–2018 को अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करते हुए स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। रेस्पोडेन्ट ने आवंटित भूमि की समस्त राशि खजानाराज में जमा करवाने के पश्चात आवंटित भूमि का राजस्व रिकोर्ड में अंकन भी रेस्पोडेन्ट के नाम से हो गया है ऐसे में अपीलांट किसी प्रकार से अपीलाधीन आदेश से हितबद्ध एवं प्रभावी पक्षकार नहीं होने की स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी खारिज फरमाया जाकर अपील लोकस स्टेण्डाई के बिन्दु पर ही खारिज की जावे।

आगे उन्होने मियांद पर कथन किया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मियांद प्रार्थना पत्र में कथन झूठे एवं मनगढत है क्योंकि अपीलांट द्वारा यह कथन किया जाना कि अपीलांट ने अपने मोहरबंद आवंटन की जानकारी वर्ष 2018 में प्राप्त करने अधीनस्थ न्यायालय में गया तब सर्वप्रथम अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई पूर्णतया झूठा है। अपीलांट अपने वर्ष 2009 के मोहरबंद प्रस्ताव की जानकारी वर्ष 2018 में सर्वप्रथम गया था इसका कोई कारण अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

नहीं किया है। ऐसी स्थिति में लापरवाह व उदासीन व्यक्ति को किसी भी प्रकार की छूट प्रदान नहीं की जा सकती है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट् के शपथ पत्र के विरूद्ध काउण्टर शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। लिहाजा अपीलांट की अपील लोकस स्टेण्डाई प्राप्त ना होने से, मियांद बाहर प्रस्तुत होने से मियांद के बिन्दु एवं गुणावगुण पर खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में सर्वप्रथम मियांद के संबंध में अपीलांट का कथन है कि अपीलांट प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार स्थापित नहीं होने से अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई थी एवं जानकारी के दिन से अपील अंदर मियांद प्रस्तुत की गई है इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट्स का कथन है कि अपीलांट द्वारा मियांद प्रार्थना पत्र में झूठे एवं मनगढत कथन अभिलिखित किये गये है इस संबंध में विधि में भी यह स्थापित किया गया है कि जहां अपील प्रस्तुत करने में अत्यधिक विलम्ब ना हो वहां मियांद के बिन्दु की जगह अपील का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। इस संबंध में न्यायहित में अपील का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना श्रेयस्कर है। लिहाजा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अंदर मियांद शुमार की जाती है।

प्रस्तुत प्रकरण में जहां तक अपीलांट को अपील प्रस्तुत किये जाने की लोकस का प्रश्न है इस संबंध में अपीलांट का कथन है कि अपीलांट द्वारा वादगत भूमि बाबत मोहरबंद श्रेणी में आवंटन हेतु प्रस्ताव दिये गये थे एवं वादगत भूमि पर अपीलांट का मोहरबंद आवंटन का प्रार्थना पत्र लम्बित था एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इसी अराजीराज भूमि को रेस्पोडेन्ट को स्मालपेच श्रेणी में आवंटित कर दिया गया है। अपीलांट का कथन है कि अपीलांट का आवंटन लम्बित होने से अपीलांट अपीलाधीन आदेश से हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकार है इसके

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

विपरीत रेस्पोडेन्ट का कथन है कि अपीलांट द्वारा जो प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय को दिये गये थे वो प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनुमोदन हेतु जिला कलक्टर को प्रेषित किये गये थे एवं जिला कलक्टर द्वारा उक्त प्रस्तावों को दिनांक 31–05–2011 को ही खारिज कर देने से अपीलांट किसी प्रकार से वादगत भूमि से हितबद्ध एवं प्रभावी पक्षकार नहीं है। इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि–

1. क्या अपीलांट प्रकरण में अपीलाधीन आदेश से व्यथित पक्षकार है और उसे अपील करने की लोकस स्टेण्डाई हासिल है?
2. क्या अपीलांट स्मॉलपेच में आवंटित अपीलाधीन भूमि को आवंटित करवाने का पात्र था?

पत्रावली में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत 96 सीपीसी के प्रार्थना–पत्र में अपीलांट ने तृतीय पक्षकार के रूप में अपील प्रस्तुत करने की अनुमति इस आधार पर चाही है कि अपीलाधीन आदेश पारित करते समय प्रार्थी का विशेष आवंटन का आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में लंबित था। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्ष 2009 में मोहरबंद आवंटन हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये गये थे जिसमें अपीलांट द्वारा चक 19 बीएलडी के मुरब्बा नम्बर 15/31 की 9 बीघा भूमि हेतु उच्चतम प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्रस्ताव अनुमोदन हेतु जिला कलक्टर बीकानेर को प्रेषित किये गये। जिला कलक्टर बीकानेर ने अपने पत्र कमांक एफ.12–1()राजस्व/उपनि./कमेटी/11/3424–29 दिनांक 31–05–2011 द्वारा दिनांक उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला से प्राप्त उच्च कय प्रस्तावों में आवंटन नियमों से संबंधित प्रकियात्मक कमियां पाई जाने से अपीलांट के प्रस्ताव सहित कुल 520 प्रस्तावों को निरस्त कर दिया था। उक्त प्रस्तावों के साथ प्राप्त राशि को लौटाने का आदेश भी पारित किया गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट द्वारा किसी प्रकार की कोई चाराजोई की गई हो अथवा चुनौती प्रदान की गई हो ऐसा कोई दस्तावेज अपीलांट द्वारा अपनी अपील के साथ प्रस्तुत नहीं किया है। अपील में अभिभाषक अपीलांट द्वारा फार्म नम्बर 3 के साथ प्रस्तुत माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय दिनांक 12–10–2017 का अवलोकन किया गया। उक्त आदेश में जिला कलक्टर बीकानेर के आदेश दिनांक 31–05–2011 को अपीलांट से भिन्न व्यक्तियों द्वारा रिट याचिका से

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

चुनौती प्रदान की गई है। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर ने भी अपने निर्णय में जिला कलक्टर बीकानेर के निर्णय दिनांक 31—05—2011 को यथावत बहाल रखा है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश पारित करते वक्त अपीलांट का आवेदन लंबित होना साबित नही होता है। अपीलांट अपीलाधीन आदेश से किस प्रकार व्यथित है यह साबित करने में विफल रहे है।

अब प्रश्न यह उठता है कि यदि अपीलांट उपस्थित भी होता तो क्या अपीलांट अपीलाधीन भूमि के स्मॉल पेच आवंटन का पात्र था राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 14 के अनुसार **"Not with standin anything to the contrary contained in these rules, small patch of Government land may be allotted, to a tenure tenant whose tenure land adjoins such patch, subject to the ceiling area at the index price for land of a similar soil class in the neighbourhood.**

Provided that if the tenant of the adjoining land fails to apply for the allotment of small patch, the Allotting Authority shall make arrangement for making allotment of such small patch to the tenure tenant of the same chak or of the adjoining chak."

उक्त प्रावधान में यह स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि स्मालपेच आवंटन चिपते खातेदार काश्तकार को किया जा सकता है।

प्रकरण में उक्त विवेचन से साबित है कि अपीलांट को अपील पेश करने की लोकस स्टेण्डाई हासिल नही है। अपील केवल व्यथित पक्षकार ही पेश कर सकता है। अपीलाधीन आवंटन में यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो उसके विरूद्ध न्यायालय जिला कलक्टर में चाराजोई की जा सकती है। अपील के माध्यम से चुनौती देने के लिए पक्षकार को अपीलाधीन आदेश से व्यथित पक्षकार होना साबित करना आवश्यक है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी अस्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट लोकस स्टेण्डाई के बिन्दु पर खारिज की जाती है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 11-7-25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर